14.27 hrs.

APPROPRIATION (RAILWAYS) BILL, 1980*

MR. DEPUTY-SPEAKER: We now come to the next item. The Railway Minister may move the Appropriation Bill.

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI KAMLAPATI TRIPATHI): I beg to move for leave to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1979-80 for the purposes of Railways.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1979—84 for the purposes of Railways."

The motion was adopted.

SHRI KAMLAPATI TRIPATHI: I introduce** the Bill.

14.29 hrs.

STATUTORY RESOLUTION RE.
PREVENTION OF BLACK-MARKETING AND MAINTENANCE OF SUPPLIES OF ESSENTIAL COMMODITIES AND PREVENTION OF
BLACKMARKETING AND MAINTENANCE OF SUPPLIES OF ESSENTIAL COMMODITIES BILL.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित संकल्प पेश करता हूं:—

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 5 अन्तूबर, 1979 को प्रख्यापित चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अध्यादेश, 1979 (1979 का अध्यादेश संख्या 10) का निरनुमोदन करती है ।" उपाध्यक्ष महोदय, यह ग्रध्यादेश 5 ग्रक्तूबर को जारी किया गया था। उस समय यहां काम-चलाऊ सरकार थी। हम ग्राशा करते थे कि वर्तमा सरकार एक नया शुभारम्भ करेगी, लेकिन--

"प्रथम ग्रासे मक्षिका पात: ।"

सत्ता सम्भालते ही निवारक नजरबन्दी जैसे काले कानून को आते देर नहीं लगी। पिछले तीन महीनों से यह अध्यादेश प्रभावी था। क्या इन तीन महीनों में इस अध्यादेश के द्वारा मूल्यों की वृद्धि पर नियन्त्रण पाया जा सका? क्या मुनाफ़ा-खोरी रुकी और चोर-बाजारी पर अंकुश लगा? क्या जमाखोरी समाप्त हो गई? मैं जानता हूं—वाणिज्य मंत्री यह कहगे कि राज्य सरकारों ने इस कानून पर अमल करने से इन्कार किया, लेकिन यह पूरा तथ्य नहीं है . . .

श्री बिरधी चन्द जैन (बाड़मेर): यह बिलकुल सही तथ्य है। मैं राजस्थान सरकार के बारे में कह रहा हूं—-उन्होंने इसका पालन नहीं किया।

श्री हरीश रावत (ग्रलमोड़ा) : ग्रान्ध्र प्रदेश की सरकार इस पर ईमानदारी से ग्रुगमल कर रही है।

श्री ग्रटल बिहारी वाजपेयी : मैं दिल्ली की बात कहता हूं। दिल्ली कन्द्र शासित प्रदेश है। दिल्ली में इस कानून पर ग्रमल करने की जिम्मेदारी दिल्ली प्रशासन की नहीं थी, जो जनता पार्टी के हाथ में है। केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी थी, क्योंकि इसका सम्बन्ध कानून ग्रीर व्यवस्था से है।

दिल्ली में इस ग्रध्यादेश के अन्तर्गंत 8 लोगों-को गिरफतार किया गया। कुछ व्यक्तियों पर चोर बाजारी का ग्रारोप था, कुछ व्यक्तियों को खाद्य-तेलों की चोर-बाजारी के ग्रारोप में पकड़ा गया था ग्रार कुछ पर सट्टा करने के ग्रारोप थे। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, ग्रारोप इतने शिथिल थे, इतने लचर थे कि एक व्यक्ति को छोड़ कर बाकी के सब व्यक्तियों के ग्रारोप एडमिनिस्ट्रटर ने, जो दिल्ली में लेफ्टीनेन्ट गवर्नर है, वापस ले लिये। वह केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त है...

श्री सनोरजन भक्त (ग्रण्डेमान तथा निकोबार ग्राइलैंड्स) : उसे जनता पार्टी ने नियुक्त किया था।

श्री ग्रटल बिहारी वाजपेयी: जनता पार्टी द्वारा नियुक्त श्रगर सभी श्रफसर गलत थ तो फिर इस कानून का ग्रमल में लाने के लिये श्रापको हजारों श्रफसरों को निकालना पड़ेगा और मुझे लगता है कि इसकी शुरुश्रात कर दी गई है... (व्यवधान)...

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 2

**Introduced with the recommendation dated 1-2-80 of the President.